न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 158/2022 दायर दिनाँक 06.05.2022

वादी		प्रतिवादी
1. बजरंगसिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी लालबाग कॉलोनी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 20.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा शेखाबासनी पटवार हल्का दौलतपुरा, भू—अभिलेख नि0 डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि पुराना खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा अवस्थित रही है। खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि मेहकमा कस्टोडियन में चला गया तथा उसके बाद उक्त खसरा सं0 की भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गयी। जो तथ्य सम्वत् 2010 से 2034 व 2059 से 2061 व 2058 से 2061, 2066 से 2069 व 2070 से 2073 की जमाबंदी में स्पष्ट है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उक्त पद सं0 01 की भूमि में से खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त मोहम्मद वल्द भोलूरो जात रा धोबी बासी गांव डीडवाना के पूर्वजों की पैत्रिक रही है। उनके स्वगर्गवास के पश्चात अब उक्त खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर मोतीलाल पुत्र मोहन माली निवासी डीडवाना का 11 बीघा भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद उक्त 11 बीघा भूमि पर वादी बजरंगसिंह को

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मोतीलाल ने बैचाण करके कब्जा काश्त निर्बाध रूप रूप से बरोक–टोक चला आ रहा है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमि पर वादी से पूर्व मोतीलाल व मोतीलाल से पूर्व मोहम्मद वल्द भोलूरा के पूर्वजों की पैत्रिक व कब्जा काश्त की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के उनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी का है।

यह है कि उक्त भूमि खसरा नं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि पर वादी से पूर्व मोतीलाल व मोतीलाल से पूर्व मोहमद वल्द भोलुरा के पूर्वज के स्वर्गवास के पश्चात वादी के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आज भी लगातार बेरोक–टोक वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त उपरोक्त पद सं0 01 में वर्णित खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि पर वादी का है। जिस कारण वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश है।

राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से संवत 2025 को महकमा कस्टोडियन के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को भारत सरकार महकमा कस्टोडियनर दर्ज कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण भूमि में से 11 बीघा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है, वादी के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नहीं था। मोहम्मद वल्द भोलूरा धोबी वासी डीडवाना व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोडकर पाकिस्तान नहीं गये, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) गलत रूप से दर्ज हुआ था जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया, जिसे वादी शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन नगरपालिका डीडवाना दर्ज होने के कारण समय समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा एलानिया धमकियां देते है तथा वादी को उसकी कब्जा शुदा 11 बीघा भूमि से बेदखल

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

करने की धमकियां देते है तथा उसके अधिकारों व हितों को चुनौती देने लगे हुये है तथा येन–केन प्रकरण वादी की कब्जा सुदा कृषि भूमि से मरहुम रखना चाहते है। जिस हेतु यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा शेखाबासनी पटवार हल्का दौलतपुरा, भू–अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा अवस्थित रही है। खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो वादी की कब्जा सुदा व वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी कब्जा काश्त की भूमि रही है व मोहम्मद वल्द भोलूरा जात रा धोबी बासी डीडवाना की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 11 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड व नजरी नक्शा में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी का जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने जवाब पेश किया। वाद में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया, वादी वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2. आया, वादी वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा पर प्रतिवादी दखल अंदाजी नहीं करें इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

3. आया, वाके सरहद शेखावासनी के खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा राजस्थान सरकार के खातेदारी भूमि है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

–जिम्मे प्रतिवादी.

4. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में वादी बजरंगसिंह का शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सं0 2059–2062, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सं0 2023.2025, प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सं0 201 से 2013 प्रदर्श 5/1 खसरा पत्रक सं0 2016 से 2019, प्रदर्श–6/1 खतौनी सं0 2000 प्रदर्शित हुए।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाक़े सरहद शेखावासनी के खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार वादी के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (ग्रामीण)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 158/2022 दायर दिनाँक 06.05.2022

वादी

1. बजरंगसिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी लालबाग कॉलोनी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 20.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 266 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार वादी के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner